बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

संख्या-4/ब-1-102/2008 - 6843 बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा 55, सहपठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं;

1. (क) बिहार पुलिस हस्तक 1978, नियम-661 (ख) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । यथा :- "661 (ख) नियुक्ति किसके द्वारा की जायेगी - सिपाही की नियुक्ति जिला के पुलिस अधीक्षक / बिहार सशस्त्र वाहिनी के समादेष्टा द्वारा की जायेगी और इसके लिए बिहार पुलिस हस्तक खण्ड-III के परिशिष्ट-72 के क्रमांक-4 में इसके प्रयोजनार्थ गठित चयन पर्षद द्वारा सूची तैयार की जायेगी"
2. (ख) बिहार पुलिस हस्तक 1978 का नियम-663 (क), (ख), (ग) तथा (घ) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । "663-नव्यों (रंगरूटों) का चुनाव सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा चयन का मापदण्ड बिहार पुलिस हस्तक खण्ड-III के परिशिष्ट-103 के अनुसार होंगे "
3. बिहार पुलिस हस्तक 1978, खण्ड-III के परिशिष्ट-72 का क्रमांक-4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा "सिपाही की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा एक केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन किया जायेगा जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :-

    1. चयन पर्षद के अध्यक्ष - अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे ।
    2. सदस्य - पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी ।
    3. एक अनुसूचित जाति / जन जाति के प्रतिनिधि - पुलिस उप-महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी ।
    4. एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि - पुलिस उप-महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी ।
    5. सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, जो आरक्षण से संबंधित नियमों / निदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे ।

    यह पर्षद लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जिले के पुलिस अधीक्षक / वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी । जिले के पुलिस अधीक्षक / वाहिनी के समादेष्टा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे । नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों का चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भाँति जाँचकर सुनिश्चित कर लेंगे।

4. बिहार पुलिस हस्तक 1978, खंड-III के परिशिष्ट-102 के बाद प्रतिस्थापित परिशिष्ट-103 एवं 104 में से परिशिष्ट-104 विलोपित समझा जाएगा एवं परिशिष्ट-103 निम्नांकित रूप से संशोधित किया जाएगा -

"परिशिष्ट-103 (नियम-663)''

बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम-663 के प्रावधान के अंतर्गत सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा चयन का मापदण्ड -

जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस बहाली की प्रक्रिया :-

(क) विज्ञापन का प्रकाशन एवं आवेदन-पत्रों का संकलन केन्द्रीयकृत रूप से किया जाएगा ।

(ख) विज्ञापन का प्रारूप एवं आवेदन-पत्र का प्रपत्र केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा तैयार किया जाएगा । आवेदन-पत्र कम्प्यूटर कम्पेटिबल होगा । कम्प्यूटर कम्पेटिबल प्रपत्र आवश्यक सूचनाओं के साथ केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा तैयार करवाया जाएगा ।

(ग) विज्ञापन में आवेदन-पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा । आवेदन-पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा । आवेदन-पत्र निर्धारित स्थान पर व्यक्तिगत रूप से जमा कराये जा सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं ।

(घ) जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस की रिक्तियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ होगी । अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा कि वे प्राथमिकता जिला पुलिस को देते हैं या सैन्य पुलिस को । नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम के अनुसार इनके द्वारा दी गयी प्राथमिकता पर विचार किया जायेगा ।

(ड.) जिला पुलिस के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके मेधाक्रम में उनके द्वारा दी गयी प्राथमिकता तथा रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर किसी जिला में नियुक्त किया जायेगा ।

5. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा :-**

आवेदन-पत्र संकलन के उपरांत आवेदन-पत्रों की जाँच की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं कक्षा के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल-100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक देय होंगे । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति इनविजिबल कार्बन प्रति के रूप में होगी और यह प्रति चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जाएगी । जिला एवं सैन्य पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित प्रतियोगिता में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी।

(च) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित / अनुमानित रिक्तियों के 1:5 अनुपात में प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच हेतु किया जाएगा ।

(छ) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता जाँच / माप में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, परन्तु शारीरिक योग्यता

जाँच/माप के आधार पर कोई अंक देय नहीं होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

(ज) **चिकित्सकीय परीक्षण** – नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा । आँख, कलर ब्लाईडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

(झ) सभी कोटि के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क लिया जाएगा जिसका उपयोग चयन पर्षद द्वारा परीक्षा संचालन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में होनेवाले अन्य खर्चो के लिए किया जाएगा । शुल्क की राशि का निर्धारण पुलिस महानिदेशक करेंगे । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में यथोचित छूट दी जाएगी । परीक्षा संचालन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जायेगी ।

(ञ) **उम्र :-**

(1) सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष

(2) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षो की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष

(3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षो की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षो की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष

(ट) **शैक्षणिक योग्यता :-** 10वीं पास

(ठ) **आरक्षण :-** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

परन्तु सिपाहियों की कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृहरक्षकों से भरा जा सकेगा । गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम-3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए -

निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को पाँच वर्षो की छूट दी जाएगी ।

योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटा की शेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा ।

(ड) **ऊँचाई** –

(1) पुरूषों के लिए – न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर

(2) सभी वर्गो की महिला के लिए – न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर

(3) भारतीय मूल के गोरखा को सिर्फ
बि0सै0पु0–1 (गोरखा बटालियन) में – न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर

(4) अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 162 से0मी0

(ढ़) **सीना** –

(1) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 81 से0 मी0 (न्यूनतम)
फुलाकर– 86 से0 मी0 (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 से0मी0 अन्तर होना अनिवार्य होगा)

(2) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 79 से0 मी0 (न्यूनतम)
फुलाकर– 84 से0 मी0 (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 से0मी0 अन्तर होना अनिवार्य होगा)

(3) महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा ।

(4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ गोरखा बटालियन में –
बिना फुलाए – 79 से0 मी0 (न्यूनतम)
फुलाकर– 84 से0 मी0 (न्यूनतम)

(ण) **शारीरिक योग्यताएँ** –

(1) **दौड़** –
पुरूषों के लिए –
एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा –
6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)
महिलाओं के लिए –
एक कि0मी0 की दौड़ के लिए समय सीमा –
6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)

(2) **ऊँची कूद** –

पुरूष के लिए	–	न्यूनतम 4	(चार) फुट
महिला के लिए	–	न्यूनतम 3	(तीन) फुट

(3) **लंबी कूद** –

पुरूष के लिए	–	न्यूनतम 12	(बारह) फुट
महिला के लिए	–	न्यूनतम 9	(नौ) फुट

(4) **गोला फेंक** –

पुरूष के लिए – 16 पौंड का गोला
न्यूनतम 16 (सोलह) फुट फेंकना होगा ।
महिला के लिए – 12 पौंड का गोला
न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा ।

नया पुलिस एक्ट बन जाने के पश्चात अब बिहार सैन्य पुलिस के लिए कोई अलग नियम नहीं है, वैसी स्थिति में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु उपरोक्त नियम एवं प्रक्रियाएँ प्रभावी होंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0–4/ब–1–102/2008 पटना, 15, दिनांक

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/–
(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या –4/ब–1–102/2008 – 6843 पटना, 15, दिनांक 11/08/08

प्रतिलिपि:– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के अदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/–
(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
HOME (POLICE) DEPARTMENT
NOTIFICATION

No.-4/B-1-102/2008 - 6843/ In exercise of power conferred in under Section 55, read with Section 94 of Bihar Police Act- 2007, The Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Bihar Police Manual, 1978 with immediate effect.

1- Bihar Police Manual Rule 661(b) will be substituted as -

" 661(b)- By whom appointed - Constable shall be appointed by Police Superintendents of Districts / Commandants of Bihar Military Police and for this list will be prepared by the selection board constituted as per Appendix 72 Serial no. 4 of Police Manual Volume III for this purpose"

2- Bihar Police Manual Rule 663(a), (b), (c) and (d) will be substituted as -

" 663- Selection of recruits- The eligibility criterion, selection process and criteria for selection for Appointment to the post of Constable will be as per Appendix 103 of Bihar Police Manual Volume III."

3- Serial no 4 of Appendix 72 of Bihar Police Manual 1978, Volume III will be substituted as -

" A Central Selection Board will be constituted by the Director General of Police comprising the following members -

1- The Chairman of Selection Board will be an Officer of the rank of Additional Director General / Inspector General of Police.

2- Member - An Officer of the rank of Deputy Inspector General of Police.

3- A representative of SC/ST-An Officer of the rank of Deputy Inspector General of Police / Superintendent of Police.

4- A representative of Minority Community - An Officer of the rank of Deputy Inspector General of Police / Superintendent of Police .

5- An Officer nominated by Secretary Personnel Department who will ensure follow-up of rules /directions for reservation.

This Board will send recommendations of successful candidates who qualify in written examination and physical measurement test to the Superintendents of District Police / Commandants of Battalions. Superintendents of District Police / Commandants of Battalions will make appointment of the recommended candidates. Before appointment they will ensure proper verification of character and identification of selected candidates."

4- Out of appendix 103 and 104 substituted after appendix 102 of Bihar Police Manual 1978, Volume III, appendix 104 will be treated as deleted and appendix 103 is hereby amended and substituted as

- - Appendix 103 (Rule 663)

Criterion for appointment to the post of constable, selection process and criteria for selection under provisions of rule 663 of Bihar Police Manual:

Process for recruitment in District Police and Military Police -

(a) Publication of advertisement and collection of application forms will be done centrally.

(b) Draft for advertisement and format of application form will be prepared by Central Selection Board. Application form will be Computer Compatible.

Computer Compatible Application form with necessary information will be prepared by Central Selection Board.

(d) The last date for submission of application form will be mentioned in the advertisement. No extension will be allowed in the last date for submission of application form. Application forms may be submitted at scheduled place personally or sent by Registered Post / Speed Post.

(e) Appointment process for vacancies of District Police and Military Police will be conducted jointly. Opportunity will be given to Candidates to give their option, whether they opt for District Police or Military Police. After selection for appointment options of the Candidates will be taken in to consideration on the basis of merit.

(f) Candidates selected for District Police will be appointed in any district according to their option and the merit list and on the basis of availability of vacancy.

5. Written Examination-

After collection of application forms scrutiny of application forms will be done and written examination will be conducted of the candidates whose application form are found in order. The standard of written examination will be equivalent of Class X of Bihar School Examination Board and questions will be Objective Type. Written examination will be of 300 marks. There will be 100 questions for Question Paper of two hours duration, in which 3 (three) marks will be given for each correct answer, 1 (one) mark will be deducted for each wrong answer. Answer book will be in duplicate, out of which one copy will be in the form of invisible carbon copy and this will be kept reserve with selection board.

Merit list for appointment to the post of constable in District and Military Police will be prepared on the basis of marks obtained in written examination.

(g) For each reservation category candidates will be selected in ratio of 1:5 of published / probable vacancies on the basis of marks obtained in written examination.

(h) Candidates selected on the basis of written examination will have to appear in physical test / measurement and it will be mandatory to qualify in the same, but no marks will be given on the basis of physical test/measurement.

(i) Medical test - Medical test of the selected candidates will be done prior to the appointment. Medical test of eyes, colour blindness, audio capacity and stammering will be done. Medical fitness will be mandatory for appointment.

(j) Examination fee will be taken from candidates of each category, which will be used by Selection Board for incurring expenses of written examination and recruitment process. The amount of fee will be decided by the Director General of Police. Adequate relaxation in examination fee will be given to the candidates of SC/ ST category. In case additional amount is required, the same will be sanctioned by the Government.

(k) Age-

(i) Minimum 18 years and Maximum 23 years for General Category.

(ii) Relaxation of 2 years in upper age limit for Men of Backward Category and Extremely Backward Category i.e. Minimum 18 years and Maximum 25 years.

(iii) Relaxation of 3 years in upper age limit for Women of Backward Category and Extremely Backward Category i.e. Minimum 18 years and Maximum 26 years.

(iv) Relaxation of 5 years in upper age limit for Men and Women of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, i.e. Minimum 18 years and Maximum 28 years.

(I) Educational Qualification- 10th Pass.

(m) Reservation - The provision of reservation as per The Bihar reservation of vacancies in post and services (for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other

Backward Classes) Act 1991 (Bihar Act - 3, 1992) (as amended from time to time) will apply.

Provided that a maximum of 50% of total available vacancies of constables may be filled up by Home Guards who are trained and registered in Bihar. The category wise reservation, as per provisions of Bihar Act of 1992 reservation will also apply to fill up the vacancies of Home Guards.

Relaxation of 5 years in upper age limit in each reservation category will be given for the vacancies to be filled in by Home Guards.

In case of non availability of sufficient number of eligible Home Guard, vacancies of Home Guards quota will be filled up by the non-home guard candidates of same reservation category.

(n) Height-

(i) For Men - Minimum 165 Cms.

(ii) For Women of all Category - Minimum 155 Cms.

(iii) For Gorkha of Indian Race, only in BMP 1 (Gorkha Battalion) - Minimum 160 Cms.

(iv) For Schedule Caste and Scheduled Tribe Men- Minimum 162 Cms.

(o) Chest-

(i) For Men of General / Backward Category / Extremely Backward Category-

Without expansion 81 Cms. (Minimum)

After expansion 86 Cms. (Minimum)

(After expansion a difference of minimum 5 Cms will be mandatory)

(ii) For Men of Scheduled Caste / Scheduled Tribe -

Without expansion 79 Cms. (Minimum)

After expansion 84 Cms. (Minimum)

(After expansion a difference of minimum 5 Cms will be mandatory)

(iii) For Women there will be no chest measurement.

(iv) For Gorkhas of Indian Race, only in Gorkha Battalion -

Without expansion 79 Cms. (Minimum)

After expansion 84 Cms. (Minimum)

(After expansion a difference of minimum 5 Cms. will be mandatory)

(p) Physical abilities-

(i) Run-

For Men

Time limit for 1 mile run - 6 minutes (Those taking more time will be declared disqualified)

For Women

Time limit for 1 kilometer run- 6 minutes (Those taking more time will be declared disqualified)

(ii) High Jump-

For Men - minimum 4 (four) feet

For Women - minimum 3 (three) feet

(iii) Long Jump -

For Men - minimum 12(twelve) feet

For Women - minimum 9 (nine) feet

(iv) Shot put -

For Men- A shot put of 16 pound will have to be thrown up to minimum 16 (sixteen) feet.

For Women- A shot put of 12 pound will have to be thrown up to minimum 10 (ten) feet.

After induction of new Police Act there is no separate rule for Bihar Military Police, as such, above rules and process for appointment to the post of constable in Bihar Police will apply.

By the Order of Governor,

Sd/-
(Gokul Kishor Dutt)
Joint Secretary,

Memo No.-4/B-1-102/2008 6843/Patna, 15 Dated-11-08-2008

Copy to:- Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna-7 to publish in extraordinary edition of gazette.

2. It is requested that 1000 extra copies of notification may kindly be made available to Home (Police) Department for use by the office.

Sd/-
(Gokul Kishor Dutt)
Joint Secretary,

Memo No.-4/B-1-102/2008 6843/Patna, 15 Dated-11-08-2008

Copy forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna with the request that action may be taken to substitute the amended portion as per the orders of the State Government.

Sd/-
(Gokul Kishor Dutt)
Joint Secretary,